वचन

मुहम्मद अज़हर मदनी

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''ऐ ईमान वालो अह्द व पैमान पूरे करो'' (सूरे माइदा-१)

कुरआन की इस आयत में दो बातों का उल्लेख है। अह्द पूरा करने का एक अर्थ यह है कि अल्लाह के आदेशों पर अमल किया जाये।

दूसरा अह्द (वचन) यह है जो इन्सान आपस में एक दूसरे से करते हैं। दोनों पर अमल करना ज़रूरी है।

अल्लाह के आदेशों पर अमल करने का अतलब यह है कि जिस ने अल्लाह को एक मान लिया, उसको इस संसार का पालनहार और स्वामी मान लिया अब उसके लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि वह अल्लाह के बताये गये आदेशों पर अमल करे, यह अल्लाह से एक तरह का वचन (अहद) है जो बन्दा अपने रब से करता है।

इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर रखी गई, यह १. गवाही देना कि अल्लाह एक है और मुहम्मद स० उसके रसूल हैं२. पांच वक़्त की नमाज़ अदा करना ३. रोज़ा रखना, ४. ज़कात देना, ५. सामर्थ होने पर हज करना और मरने के बाद के जीवन पर ईमान लाना।

ईमान लाने के बाद हराम और हलाल में अन्तर करना, भले, बुरे के फर्क को समझना अल्लाह के आदेशों का हिस्सा है। नेक वही लोग हैं जो इस्लाम के बताए गए अहकाम के अनुसार अपना जीवन गुज़ारते हैं और अल्लाह ऐसे ही लोगों की मदद करता है। वचन पूरा करना ईमान की पहचान है। यह दुनिया अहद व पैमान से चल रही है, वचन न पूरा होने से जो खराबियां उत्पन्न होती हैं, वह किसी से ढकी छिपी नहीं है, वादों के आधार पर इन्सान अपने मन्सूबे और योजना बनाता है, और वचन न निभाया जाये तो इन्सान के सारे मनसूबे फेल हो जाते हैं। इसी लिये इस्लामी कानून ने वचन निभाने का आदेश दिया है। लेकिन यह कितने अफसोस और खेद की बात है कि हमारे समाज में वचन तोड़ना, वादा न पूरा करना एक आम सी बात हो गई है और यह बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शरीअत का यह आदेश हमें एक अच्छा इन्सान बनने का उपदेश देता है, ज़रूरत है कि हम अपने वचन को पूरा करें और इस पर अमल करके इस्लाम का आदर्श पेश करें।

क्यामत के दिन कान से सवाल हो गा कि उसने क्या सुना था? आंख से सवाल होगा कि उसने क्या देखा था और दिल से सवाल हो गा कि उसने क्या जाना था।

वचन देते वक़्त इन्सान कान से सुनता है आंख से देखता है और दिल से जानता समझता है कि हम जो भी वचन दे रहे हैं उसको तोड़ने का अंजाम और परिणाम क्या होगा?

मासिक

इसलाहे समाज

दिसंबर 2022 वर्ष 33 अंक 12

जुमादल ऊला 1444 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑ वार्षिक राशि 100 रुपये

❑ प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	वचन	2
2.	सम्पादकीय	4
3.	सोशल मीडिया और शिक्षा	8
4.	वरासत का अधिकार	9
5.	क़ियामत	12
6.	इस्लाम में वक़्त की क़द्र व क़ीमत	15
7.	इस्लाम में अनाथों के अधिकार	18
8.	अपील	19
9.	पैगम्बर मुहम्मद स० की शिक्षाएं	21
10.	समाज के लिए आदर्श कौन	23
11.	जमाअती ख़बर	26
12.	अपील	27
13.	कलैन्डर २०२३	28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

ग़ैर मुस्लिमों के साथ पैग़म्बर

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का सदव्यवहार

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

अरब में आम लोगों के समाजी हालात अत्यंनत अकहनीय थे जैसा कि जाफर तैयार ने नज्जाशी बादशाह के दरबार में बयान किया था कि सम्माननीय सम्राट! हम अपने असल स्वामी और पालन हार को भूल गये थे और अल्लाह को छोड़ कर गैरों की इबादत करते थे, हम में से ताक़तवर कमज़ोर को सताता था और हम लोग मुर्दार खाते थे। सारांश यह है कि उस वक़्त इन्सान जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुका था पवित्र क़ुरआन के कथनानुसार ''यह लोग चौपायों की तरह हैं बल्कि यह उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं'' (सूरे आराफ़-१७६) की स्थिति थी।

एमानत खतम हो चुकी थी, रासते असुरक्षित थे, चारों तरफ जंगल राज था, स्मिता सुरक्षित नहीं थी। चोरी डकैती, ज़िनाकारी, बदकारी, ख़ियानत, धोका धड़ी, वचन भंग करना, नफरत व पक्षपात और दुश्मनी में अपने और गैरों की पहचान भुला चुके थे। औरतों का अत्यंत बुरा हाल था वह बाज़ार के माल और जानवरों से भी ज़्यादा बदतर आम हालात में महसूस की जाती थी और उनकी नुहूसत (अशुभ) होने का हर तरफ चर्चा था। बच्चियों को पैदा होते ही जमीन में ज़िन्दा दफन कर देते थे। इतने अकहनीय और बुरे हालात में भी लोगों के साथ मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का बर्ताव अत्यंत निःस्वार्थ, चरित्र व आचरण इन्तेहाई अच्छा, सुथरा और मामलात बहुत ही पवित्र व साफ थे। यहाँ तक कि हर क़बीले में पाये जाने वाले पक्षपात व नफरत की आंधियों के बावजूद आप सत्यवान एवं निष्ठवान और दायलू एवं कृपालू जैसे शब्दों से संबोधित किये जाते थे। अपना और पराया आप पर फ़िदा था। दुनिया में चरित्र व आचरण की जितनी विशेषताएं पायी जाती हैं वह सब आप के सिलसिले में बोले जाने वाले संबोध अमीन व सादिक़ (अमानतदार एवं निष्ठावान) में सिमट आई हैं। पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इतने महान होने का सर्टीफिकेट ग़ैर मुस्लिम भाइयों ने एक लम्बे अनुभव के बाद दिया था।

जिस वक़्त आप को पैगम्बर बनाया गया था उस वक़्त आप की जो बहुत से महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई थीं वह यही थीं कि आप एक गैर मुस्लिम समाज में जहाँ चिराग लेकर ढूढ़ने से एक मुसलमान नज़र नहीं आता था सब के लिये सबसे ज़्यादा लाभकारी शुभचिंतक और दयालू इंसान थे। गैर मुस्लिम और देश बन्धुओं के तमाम कमजोरों की मदद, मजलूमों की सहायता, बेवाओं की खबरगीरी, रिश्तेदारों से रिश्तेनाते को बनाये रखना, दुखग्रस्त लोगों का सहयोग और बिना किसी भेद भाव के गैर मुस्लिम मेहमानों का सत्कार आप की विशिष्ट पहचान

थी।

आप की जीवन साथी हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा ने अत्यंत घबराहट की घड़ी में आप को सांत्वना देने के लिये यही कहा था कि आप अपने परायों में अन्तर किये बिना लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ सदव्यवहार करना ही इस बात की ज़मानत है कि कोई आप को नुक़्सान नहीं पहुंचा सकता और आप हलाक व बर्बाद नहीं होंगे बल्कि अब जब कि आप को पैग़म्बर बना दिया गया है तो आप और ज़्यादा कर्तव्य निभाते हुए पूरी दुनिया के शुभचिंतन का दम भरें और इसी राह में कुर्बान हो जाऐं। आप की यह तड़प जाति, दीन धर्म, पूरब पश्चिम दायें बाएं और ऊंच नीच के घेरे में हर्गिज़ सीमित नहीं हो गी बल्कि यह लाभ सब के लिये साधारण होगा और आप पूरी मानवता के लिये दयालू और कृपालू पैगम्बर होंगे। जैसा कि पवित्र कुरआन में भी अल्लाह तआला ने फरमायाः ''और हमने आप को तमाम संसार वालों के लिये रहमत बना कर भेजा है'' (सूरे अंबिया-१०७)

मानवता के लिये इससे भी ज़्यादा हमदर्दी कभी किसी को किसी के साथ करते किसी ने देखा है? अपने ऊपर अत्याचार के बावजूद जुबान से दुआ निकलती है कि ऐ अल्लाह मैं इनका भला चाहता हूं यह नादान हैं मैं तुझ से उनके सच्चे मार्ग पर लाने की दुआ करता हूं और मैं तुझ से एक भिकारी बन कर मानवीय आधार पर भीक मांग रहा हूं, ये मेरे अपने लोग हैं। क्या आकाश की आखों ने गैरों के हक़ में ऐसी अपनाइयत से वकालत व समर्थन दुआ और दया करते हुए कभी देखा है? पैगम्बर बनाये जाने से पहले की बात है उस वक़्त आप की आयु २० साल थी मक्का में कुरैश के संयुक्त क़बीलों ने अम्न व शान्ति की स्थापनी और मानव अधिकार की रक्षा के लिये ''हिलफुलफजूल'' नामक एक संस्था का गठन किया जिस में सभी क़बीलों ने यह संकल्प किया कि हम देश से अशान्ति को दूर करेंगे, यात्रियों की रक्षा करेंगे, गरीबों की मदद करते रहें और ताकतवर को किसी कमज़ोर पर जुल्म से रोकें गे। इस मीटिंग में पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम भी अपने मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) चचाओं के साथ मौजूद थे। अम्न व शान्ति की स्थापना और मानव अधिकार की सुरक्षा के कार्य से आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इतनी रूचि, दिलचस्पी और हार्दिक लगाव था कि पैगम्बरी मिलने के बाद भी कहा करते थे कि मैं अब्दुल्लाह बिन जदआन के मकान पर एक ऐसी संधि में प्रतिभाग लिया था कि मुझे इसके बदले सुर्ख ऊंट भी पसन्द नहीं और अगर इस्लाम के काल में मुझे इस तरह की संधि में शामिल होने के लिये बुलाया जाता तो मैं अवश्य हाज़िर होता और समर्थन करता।

अब्दुल्लाह बिन अरीक़त सहधर्मी न होने बल्कि सख्त विरोधियों के धर्म पर होने के बावजूद कठिन और नाजुक हालात में हिज़रत के अवसर पर अपना ''दलीले राह'' (रास्ता बताने वाला) बना लिया।

सुराक़ा बिन मालिक बिन जाशम हिजरत के अवसर पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिये उतावला हो रहा था, इसको माफ करने के साथ

साथ इसके लिये दुआ की जब कि आप सुराक़ा बिन मालिक को सज़ा देने का सामर्थ रखते थे।

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम संसार वालों के लिये कितने दयालू थे कि जंगल में एक पेड़ के नीचे थके हारे लेटे हुए हैं, दुश्मन मार देने के लिये तैयार है और मारने का एरादा करने से पहले बड़े अहंकारी अंदाज़ में कह रहा है कि ऐ मुहम्मद! अब तुझे मुझ से कौन बचा सकता है? आप ने निहत्था होने के बावजूद उसके ऊपर काबू पा लिया लेकिन इसके बावजूद माफ कर दिया और वह आप का सेवक बन गया।

यहूदियों की नकारात्मक सोच शुरू ही से स्पष्ट थी, मदीना आते ही पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे भाई चारा और अम्न व शान्ति के साथ रहने की संधि की कि धर्म अलग हो सकता है लेकिन इससे मानवता, भाई चारा, आपसी रहन सहन और व्यवपार व सहयोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहूदियों ने शुरू से वचन तोड़ने का रिकार्ड काइम किया। खुल्लम खुल्ला पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उनकी औरतों, और मुसलमानों को गाली गुलूज देने में लगे रहे, आप ने हर संभव तौर पर फितना व फसाद से बचने और बचाने की नसीहत की। उन से लेन देने को जारी रखा, आप उनकी इयादत करते, उनको खाना खिलाते उनसे क़र्ज़ लेते और उनकी तरफ से नियम तोड़ने पर भी सब्र व संयम से काम लेते हुए उनसे संबन्धा को स्थापित करने की कोशिश करते। यह सब इस्लाम के उत्थान और मुस्लिम शासकों के शासन काल की घटनाएं हैं।

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के चरित्र का एक उज्जवल पहलू यह भी है कि आप गैर मुस्लिमों के घरों को जा कर उनके बच्चों की इयादत (बीमार का हाल मालूम) करते जिससे बच्चों के साथ बच्चों के माँ बाप भी प्रभावित होते।

यमामा देश के सरदार सुमामा बिन उसाल जिस ने कौन सा ऐसा इक़्दाम था जो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के खिलाफ न किया हो और जो आप के क़त्ल के दरपे न रहा हो मगर जब वह पकड़ कर लाया गया तो मुसलमानों को भूखों मार देने के मिशन पर रवाना इस कौम व समुदाय के दुश्मन के साथ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इतने अच्छे व्यवहार व बर्ताव का प्रदर्शन किया कि इसकी संकल्पना कोई भी शसक इतने बदतरीन शासक के साथ नहीं कर सकता। जिस के सर पर कितने खूनों का कर्ज़ था वह स्वयं ही अपने आप को कत्ल किये जाने का पात्र समझता था इसे भी पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मआफ कर दिया।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दुश्मन को मआफ ही नहीं करते हैं बल्कि उन को कितना सम्मानित कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों के जो बड़े और अच्छे लोग निधन कर गये आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उनकी सेवाओं का एतराफ करने से भी संकोच नहीं करते थे। इस धरती पर अपने बदतरीन दुश्मन को जिन्होंने अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और आप के साथियों और परिवार वालों को घर बार से भगाया और जब आप ने जान व ईमान बचा कर दूर और

दूसरे शहर में शरण लिया तो वहां भी आराम के साथ नहीं रहने दिया और वहां भी आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खतम कर देने के लिये चढ़ दौड़े। आप ने इसमें अपनी रक्षा करते और जीत प्राप्त करने के बावजूद आशा करते हैं कि अगर मुतइम बिन अदी आज भी जीवित होते तो इनके इशारे पर इन इस्लाम दुश्मन लोगों को रिहा कर देते न दण्ड लेते और न डांट डपट करते।

अबू दाऊद की रिवायत में है कि अगर मुतइम बिन अदी जीवित होते और इन कैदियों के बारे में सिफारिश करते तो मैं इन की वजह से इन्हें छोड़ देता।

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम ने मुतइम बिन अदी के कुफ्र की हालत में मरने के बावजूद उनकी प्रशंसा की कि अगर किसी इन्सान के लम्बी आयु पाने का असल कारण उसकी सज्जनता और शराफत होती तो मुतइम बिन अदी हमेशा जीवित रहने के ज़्यादा हक़दार थे।

क्या इस्लाम और मुसलमानों के बारे में नकारात्मक रिपोर्टिंग और मनगढ़त वाक़आत बयान करने वाले इतिहास के इन उज्जवल पहलुओं से अंभिज्ञ हैं और जो लोग इस्लाम की इन शिक्षाओं की उपेक्षा करके हिंसा का रास्ता अपनाते हैं वह इस्लाम की किन शिक्षाओं का प्रतिनिधुत्व कर रहे हैं?

होंगे यह किसी और ही इस्लाम के बानी

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

सोशल मीडिया और शिक्षा

नौशाद अहमद

शब्दों का सहीह स्तेमाल इन्सान के स्थान को महत्वपूर्ण बना देता है, आपसी बात चीत की शैली से इन्सान की सभ्यता झलकती है इसी से पता चलता है कि उसकी तर्बियत किस माहौल में और किस अन्दाज़ से हुई है चाहे यह भाषा बोल चाल की हो या लिखित रूप में, दोनों का अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण रोल होता है। इस्लाम ने अपनी बात को कहने और लोगों के सामने पेश करने की आज़ादी दी है लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं जिस से किसी का अपमान होता हो या जिस से किसी की भावनाएँ आहत होती हों। ऐसी राय की आज़ादी का इस्लाम सख्त विरोधी है।

कोई बात कहने से पहले सोच विचार करना ज़रूरी है। यह कहा भी जाता है कि पहले तौलो फिर बोलो। आज कल एक गलत फहमी यह भी फैल ई है कि किसी एक व्यक्ति विशेष की राय को उसके पूरे समुदाय से जोड़ दिया जाता है जबकि ऐसा सोचना और समझना शत-प्रतिशत गलत है हमें ऐसी सोच और गलत फहमी से बचना चाहए और कोई राय देने से पहले खूब सोच विचार करना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में अपनी राय और विचार पेश किया जाए खास तौर से ऐसे लोगों को सोशल मीडिया और दूसरे सोशल मीडिया संसाधनों पर अपनी राय रखने से परहेज़ करना चाहिये जिसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान न हो क्योंकि अकारण अपनी बात रखने से फायदे के बजाये नुकसान हो जाता है। नफा नुकसान का आकलन करना बहुत ज़रूरी है केवल नाम कमाने के लिये कोई पोस्ट वायरल करना अकलमन्दी नहीं है।

शिक्षा के सिलसिले में जागरूगता पैदा हुई है लेकिन अभी भी तालीमी मैदान में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने और भाग लेने की आवश्यकता है। आस पास में शिक्षित लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह गफलत में पड़े बच्चों के मां बाप को शिक्षा के संबन्ध में जागरूक करें और उसकी अहमियत से अवगत कराते रहें। इसके अलावा दीन के अहकामात (आदेशों) पर अमल करने की पूरी कोशिश करें, नमाज़ रोज़े और अन्य इबादतों की पाबन्दी करते हुए शिक्षा की तरफ भरपूर ध्यान दें, वक़्त बहुत तेजी से गुज़रता जा रहा है, वक़्त का सहीह स्तेमाल ही हमारे समाजी, आर्थिक जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। इसलिये सोशल साइटों पर घन्टों घन्टों व्यस्त रहना और हर मामले में अपनी राय देना वक़्त की बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा इस लिये इसका स्तेमाल केवल लाभकारी ज्ञान और सीमित हद तक होना चाहिये इसके लिये ज़रूरी है कि लोगों के अन्दर जागरूकता पैदा की जाए और छोटे बच्चों को स्मार्ट फोन से दूर रखा जाए केवल उनही को स्तेमाल की इजाज़त दी जाए जिन के लिये स्मार्ट फोन स्तेमाल करना ज़रूरी हो गया हो। मस्जिदों के इमाम और मदारिस के अध्यापक अपने उपदेश और भाषण से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और लोगो के बीच शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करें, चाहे काम में कितनी भी रूकावटें आएं, अल्लाह की तक़दीर पर भरोसा रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें।

वरासत का अधिकार

डा० मुक़्तदा हसन अज़हरी रह०

इस्लाम में महिलाओं के उत्तराधिकार पर प्रकाश डालने से पूर्व एक दृष्टि अन्य जातियों के वरासत की व्यवस्था पर डालिये ताकि इस्लामी कानून के सुधार व लाभदायक पहलू उजागर हो सकें।

उत्तराधिकार के विषय में प्राचीन रूमानियों के यहाँ यह नियम था कि मृतक की सन्तान या सम्बन्धी में से किसी को इसके खानदान का संरक्षक नियुक्त किया जाता था जिसके अधिकार में मृतक की सारी सम्पत्ति होती थी तथा वह प्रत्येक प्रकार का व्यक्तिगत व सामूहिक कर्तव्य निभाता था। फिर इस्लाम से कुछ पूर्व यह लोग भी पूर्वी जातियों के समान सगे निकट सम्बन्धियों को उत्तराधिकारी बनाने लगे। उनके यहाँ विभिन्न स्थिति में महिलाओं को वरासत का माल दिया जाता था। लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को उसकी सम्पत्ति से कुछ भी नहीं दिया जाता था।

यूनानी लोग भी वरासत के सम्बन्ध में रूमानियों के समान थे। मृतक जिस व्यक्ति को खानदान का संरक्षक तथा धन व सम्पत्ति का अधिकार दे जाता था वह उसकी प्रत्येक वस्तु का मालिक माना जाता था। उसे महिलाओं का विवाह कराने या उसे विवाह से रोकने का अधिकार प्राप्त था। उसके कार्यों में किसी को हस्तक्षेप करने की अनुमति न थी।

मिस्र में मृतक की सन्तान में सबसे योग्य व्यक्ति को कृषि तथा चल सम्पत्ति का स्वामी बनाया जाता था तथा इसी को परिवार के मुखिया का पद प्राप्त होता था, किन्तु वरासत में इसे कोई विशेषता न थी, पुरूष व महिला वरासत में समान रूप के अधिकारी माने जाते थे। मृतक की पत्नी भी वरासत में हिस्सा पाती थी।

यहूदी धर्म में वरासत का अधिकारी केवल पुत्र या पौत्र होता था। यदि इन दोनों में से कोई न हो तो फिर पुत्री या उसकी सन्तान को पैतृक सम्पत्ति का स्वामी माना जाता था। मृतक यदि निःसन्तान होता तो उसके सगे निकट सम्बन्धी उसकी पैतृक सम्पत्ति के मालिक होते।

अरब द्वीप के निवासी महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उनके यहाँ पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी मृतक का बड़ा भाई या चाचा का लड़का या उसका किशोर बालक होता था। प्रायः यह लोग पैतृक सम्पत्ति केवल पुत्रों को देते थे।

आधुनिक युग में (कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट) धर्मावलम्बी उत्तराधिकार के बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनके यहाँ सरकार मृतक की पैतृक सम्पत्ति पर कब्जा कर लेती है। परन्तु इसकी अपेक्षा इस्लाम ने विभिन्न स्थिति में महिलाओं के लिये पैतृक सम्पत्ति में हिस्से निश्चित कर दिये हैं तथा उनको विस्तार पूर्वक इस्लामी फ़िक़ः (नियम) की पुस्तक में लिखा है। इस्लाम की इस व्यवस्था में जो कल्याण तथा रहस्य छिपा है उसको अब गैर मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं।

इस्लाम के वरासत की व्यवस्था को प्रायः सभी लोग स्वीकार करते हैं। परन्तु ''पुरूष का महिला की अपेक्षा दुगना हिस्सा है'' के द्वारा क़ुरआन ने जिस कानून की घोषणा की है इसको अधिकतर लोग अब तक समझ नहीं सके हैं। पुरूष तथा स्त्री के हिस्सा में अन्तर से क्या परिणाम निकलेगा यह बात उन्हें ज्ञात नहीं है, इसलिये ऐसे लोग इस्लाम के इस कानून का विरोध करते हैं।

इस सन्दर्भ में यह बात स्मरणीय है कि इस्लाम की दृष्टि में यदि पुरूष तथा महिला सम्बन्ध में समान हों तो वरासत के लिये दोनों के अधिकार में कोई अन्तर नहीं होगा। अतः मृतक के पैतृक सम्पत्ति से बेटी, बेटे के समान, माँ, बाप के समान, पत्नी पति के समान तथा बहन भाई के समान वरासत का अधिकार रखती है।

ध्यान से देखने पर यह ज्ञात होता है कि इस्लाम ने पुरूष तथा महिला के मध्य जो अन्तर रखा है उसका उद्देश्य किसी महिला पर अत्याचार नहीं अपितु अधिकार तथा दायित्व के बीच सन्तुलन की रक्षा करना है। चूंकि इस्लामी व्यवस्था के अनुसार पुरूष पर यह जिम्मेदारी है कि वह पत्नी का महर अदा करे, जीवन यापन का खर्च वहन करे तथा पत्नी व बच्चों की पूर्ण देख-रेख करे। परन्तु इसकी अपेक्षा महिला इस पकार की समस्त जिम्मेदारियों से अलग है। इस्लाम ने इसी अन्तर के आधार पर मीरास में भी अन्तर रखा है। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाये तो यह अन्तर कृपा का स्रोत तथा महिलाआ के पक्ष में असाधारण नरमी है, क्योंकि इस्लाम ने एक ओर तो महिला को हर प्रकार की आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है तथा दूसरी ओर वरासत में इसे पुरूष की अपेक्षा आधा हिस्सा भी दिया है। महिलाओं के पक्ष में इस्लामी वरासत व्यवस्था कितनी अच्छी है? इसे समझने के लिये निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिये।

यदि एक व्यक्ति मर जाये तथा अपने पीछे एक बेटा और बेटी छोड़ जाये तो ऐसी स्थिति में उसकी सम्पत्ति तीन भागों में बटेगी। दो भाग का मालिक बेटा होगा तथा एक भाग बेटी को मिलेगा। अब देखना यह है कि जो भाग बेटी को मिला है इसमें कमी के स्थान पर बराबर बढ़ातरी होगी, क्योंकि बेटी को विवाह के समय 'महर' की रकम मिलेगी, इसी प्रकार वह व्यवसाय के द्वारा भी अपने माल में बढ़ोतरी कर सकती है। इसे चूंकि किसी भी स्थान पर खर्च करना आवश्यक नहीं है, इसलिये इसका माल किसी प्रकार से भी कम नहीं होगा। इसके विपरीत बेटे को जो माल मिला है वह बराबर कम होता रहेगा, क्योंकि इसी माल से वह 'महर' की रक़म अदा करेगा, रहने की व्यवस्था करेगा तथा पत्नी व बच्चों के लिये भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था उपलब्ध करेगा। ऐसी स्थिति में केवल एक पक्ष (महिला) पर दृष्टि रखकर इस्लामी व्यवस्था पर आपत्ति करें, तो न्याय न होगा।

यह मान लेना पूर्णतः निराधार है कि इस्लाम ने सभी स्थिति एवं दशा में महिला को पुरूष की अपेक्षा आधा हिस्सा दिया है। इस्लामी कानून की पुस्तकों में जो विवरण लिखे गये हैं, उनसे मालूम होता है कि कुछ परिस्थिति में पुरूष तथा महिला का भाग समान है, कुछ में कम तथा कुछ में उससे अधिक है। इस अन्तर का कारण शरीअत (धर्म) का वह व्यवस्थित नियम है, जिसे वरासत के विषय में वर्णन किया गया है।

जिन परिस्थितियों में महिला का हिस्सा पुरूष के बराबर या उससे अधिक होता है उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।

१. माँ जब बाप बेटों के साथ वारिस हो ऐसी स्थिति में माँ को छठवाँ भाग मिलेगा तथा उतना ही पिता को भी, दोनों में किसी प्रकार की वरीयता न होगी।

२. यदि माँ जाई बहन हो तो छठवाँ भाग पायेगी तथा कई एक हों तो एक तिहाई और यही स्थिति माँ जाई भाई का है, परन्तु भाई, बहन दोनों हों तो तिहाई सम्पत्ति उनके मध्य समान रूप से बटेगी और इस दशा में भाई और बहन का भाग समान होगा।

३. यदि मृतक के केवल एक सगी बहन हो तो उसे आधी सम्पत्ति मिलेगी और यदि उसके स्थान पर सगा भाई हो तो उसे वह भाग मिलेगा जो भागीदारों से शेष बचे। यह भाग कुछ परिस्थितियों में आधे से कम होगा, जैसे जब मृतक के उत्तराधिकारियों में पति, माँ और सगा भाई हो इस दशा में उसे केवल छठवाँ भाग मिलेगा क्योंकि यही शेष बचा है। स्पष्ट है कि छटवाँ भाग आधे से कम है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहन का हिस्सा भाई के हिस्सा से अधिक है।

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

क़ियामत

प्रोफेसर डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

इसको प्रलय-दिवस भी कहा जा सकता है। सभी धर्मों में इसका किसी न किसी रूप में वर्णन हुआ है। अन्तिम ईशग्रंथ पवित्र कुरआन में तो क़ियामत (प्रलय-दिवस) का अत्यन्त विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें प्रलय-सम्बन्धी अनेकानेक लक्षणों और प्रतीकों की ओर संकेत किया गया है। प्रलय के सम्बन्ध में पवित्र कुरआन और हदीसों में पाए जाने वाले विवरणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है।

प्रथमः क़ियामत की बड़ी-बड़ी निशानियाँ

१. रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का आनाः

यह क़ियमत के निकट होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुरआन में है-

''तो क्या अब इन्हें क़ियामत ही की प्रतीक्षा है कि वह उनके पास अचानक आ पड़े जबकि उसके लक्षण सामने आ चुके हैं। तो जब वह उनके पास आ जाएगी तो उन्हें होश में आने का समय कहाँ मिलेगा? (सूरा-४७, मुहम्मद, आयत-१८)

अतः मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अन्तिम नबी हैं। अब क़ियामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का आना क़ियामत के निकट होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक सहीह हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा-

''क़ियामत और मैं दो उंगलियों के समान हैं जो बहुत ही निकट होती हैं।'' (बुखारी,४९३६ तथा मुस्लिम, २९५०)

२. ईसा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का धरती पर दोबारा वापस आनाः

कुरआन में है-

''बल्लिक उसे (ईसा को) अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया और अल्लाह प्रभुत्वशाली तथा तत्वदर्शी है और किताब वालों में कोई ऐसा न होगा जो उसकी मृत्यु से पूर्व उस पर ईमान न लाए। और वह क़ियामत के दिन उनपर गवाह होगा'' (सूरा-४, अन-निसा, आयतें-१५८,१५९)

अर्थात ईसा क़ियामत के निकट आसमान से वापस आएंगे। उस समय जितने अहले किताब होंगे, वे सब उनके नबी होने पर ईमान लाएंगे।

३. याजूज-माजूज का निकलनाः

कुरआन में है-

''यहाँ तक कि जब याजूज-माजूज खोल दिए जाएंगे और वे हर ऊंचे स्थान से दौड़ते चले आएंगे और जब सच्चा वचन (क़ियामत) निकट आ जाएगा, उस समय इस्लाम विरोधियों की आँखें फटी रह जाएंगी (और वे कह उठेंगे), ''हाय अफसोस, हम इस दुर्दशा से निश्चिन्त थे, बल्कि वास्तव में हम स्वयं ही अपराधी थे।'' (सूरा-२१, अत अंबिया, आयतें-९६-९७)

ये याजूज-माजूज कौन है? (देखिएः याजूज-माजूज)

४. दाब्बाः

अर्थ है पृथ्वी पर चलने वाला। अल्लाह तआला क़ियामत से पूर्व

एक ऐसा पशु निकालेगा जो लोगों से बातें करेगा। कुरआन में है-

''जब उनके विषय में (प्रकोप का) वचन सिद्ध हो जाएगा, हम धरती से उनके लिए एक पशु निकालेंगे, जो उनसे बातें करता होगा कि 'लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे'' (सूरा-२७, अन-नम्ल, आयत-८२)

५. आकाश का धुआँ-धुआँ हो जानाः

कुरआन में है-

''अच्छा तो तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो, जब आकाश प्रत्यक्ष धुआ लाएगा, वह लोगों को ढांक लेगा। यह है दुखद यातना''। (सूरा-४४, अद्-दुख़ान, आयतें-१०,११)

सहीह हदीसों में क़ियामत से पूर्व की जो दस निशानियाँ बताई गई हैं उनमें से एक धुआँ भी है। (सहीह मुस्लिम,२६०१)

लेकिन सहीह बुखारी की एक हदीस से पता चलता है कि जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को शाप दिया तो वे अकालग्रस्त हो गए, जिसके कारण वे भूख से व्याकुल हो उठे। वे जब आकाश की ओर मुंह करके देखते तो पूरा आकाश धुएं से भरा दिखाई देता। इस अवसर पर सूरा-४१, अद्-दुखान की उपर्युक्त आयतें अवतरित हुईं। (बुखारी,४८२०)

विद्वानों का विचार है कि दोनों बातें सही हो सकती हैं अर्थात धुएंवाली घटना घटित हो चुकी है और फिर क़ियामत के निकट दोबारा भी घटित हो सकती है। शेष जिन पांच निशानियों का वर्णन मुस्लिम की हदीस में आया है, वे ये हैं-

१. पूर्व के देशों में भूकम्प

२. पश्चिम के देशों में भूकम्प

३. अरब के रेगिस्तानों में भूकम्प

४. सूर्य का पश्चिम से निकलना

५. यमन के शहर 'अदन' से आग निकलना और लोगों को भगाते चले जाना।

द्वितीय, क़ियामत के समय विश्व की दशा

जब क़ियामत आएगी यह ब्रहमांड तहस-नहस हो जाएगा। सूरज-चांद आपस में टकरा जाएंगे। पहाड़ रूई की तरह भागते फिरेंगे, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। कुरआन में बड़े विस्तार के साथ इसका चित्र खींचा गया है।

सूर्य-चांद और तारों की दशाः

''जब सूर्य लपेट दिया जाएगा, जब तारे प्रकाशहीन हो जाएंगे, जब पर्वतों को चला दिया जाएगा, जब दस मास की गर्भवती ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी, जब जंगली जानवर घबराकर एकत्र हो जाएंगे, जब समुद्र उबल पड़ेंगे, जब लोगों को उनकी आत्माओं से जोड़ दिया जाएगा, जब जीवित गाड़ी गई कन्या से पूछा जाएगा कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गई और जब कर्मपत्र खोल दिए जाएंगे, और जब आकाश की खाल उतार दी जाएगी, और जब नरक भड़काई जाएगी, और जब स्वर्ग निकट कर दिया जाएगा, तो उस दिन प्रत्येक मनुष्य जान लेगा, जो कुछ वह लेकर आया है।'' (सूरा-८१, अत-तकवीर, आयतें-१-१४)

कुरआन में एक अन्य स्थान पर इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। ''वह पूछता है, आखिर क़ियामत का दिन कब आएगा?'' (तो बता दो) जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी तथा चांद एकत्र कर दिए जाएंगे। उस दिन मनुष्य पुकार उठेगा, ''आज शरण लेने का स्थान कहां हैं?'' कुछ नहीं, उस दिन कोई शरणस्थल नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे रब ही की

ओर सबको जाकर ठहरना है। उस दिन मनुष्य को बता दिया जाएगा, जो कुछ उसने आगे बढ़ाया और पीछे टाला। (सूरा-७५, अल-क़ियामह, आयतें-६-१३)

अर्थात क़ियामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब लिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में डाल दिया जाएगा। कुरआन में है-

''जब आकाश फट पड़ेगा, और जब तारे बिखर पड़ेंगे, और जब समुद्र उबल पड़ेंगे, और जब क़ब्रों के अन्दर जो हैं उन्हें उठा दिया जाएगा, तब प्रत्येक व्यक्ति जान लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा है। ऐ मनुष्य, किस चीज़ ने तुम्हें अपने उदार 'रब' के विषय में धोखे में डाल रखा है, जिसने तुझे पैदा किया, और तुझे ठीक-ठीक, और सन्तुलित बनाया। फिर जिस प्रकार के रूप में चाहा तुम्हें ढाल दिया, मगर तुम तो बदले के दिन (क़ियामत) को झुठलाते हो।'' (सारा-८२, अत-इन्फ़ितार, आयतें-१६)

पृथ्वी और आकाश की दशाः

कुरआन में है- ''तथा उन लोगों ने अल्लाह का जैसा सम्मान करना चाहिए था, नहीं किया। क़ियामत के दिन सारी धरती उसकी मुट्ठी में होगी तथा आकाश उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वह हर प्रकार के शिर्क (साझेदारी) से पवित्र और उच्च है।''(सूरा-३६, अज जुमर, आयत-६७)

जब धरती भूकम्प से हिला दी जाएगी, और धरती अपने बोझ को बाहर निकाल फेंकेगी, और मनुष्य कहने लगेगा, ''इसे क्या हो गया है?'' उस दिन वह अपना वृत्तान्त सुनाएगी, इसलिए कि तुम्हारे 'रब' ने उसे आदेश दिया होगा।'' (सूरा-६६, अज-ज़िलज़ाल, आयत-१-५)

पर्वतों की दशाः

कुरआन में है- ''वह खड़खड़ा देने वाली, क्या है वह खड़खड़ा देने वाली? और तुम्हें कया पता कि क्या है वह खड़खड़ा देने वाली? जिस दिन लोग बिखरे हुए पतिंगों के सदृश हो जाएंगे, और पर्वत धुनके हुए रंग-बिरंगे ऊन जैसे हो जाएंगे''। (सूरा-१०१, अत-कारिया, आयतें१-५)

इस प्रकार कुरआन में अत्यन्त विस्तारपूर्वक कियामत का वर्णन किया गया है, ताकि मनुष्य अपनी अवस्था को समझे और क़ियामत के लिए अपने आपको तैयार करे कि वह कर्मपत्र लेकर अल्लाह के पास जाएगा, ताकि उसको अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त हो।

पवित्र कुरआन में इस बात की चेतावनी दी गई है कि इन्सान यह न समझ ले कि मरने के बाद वह सड़-गल जाएगा और फिर उसको दोबारा जीवित नहीं किया जाएगा बल्कि उसे अवश्य उठाया जाएगा, ताकि वह अपने कर्मों का हिसाब दे। ''नहीं! मैं सौगन्ध खाता हूं क़ियामत के दिन की और नहीं! सौगन्ध खाता हूं उस आत्मा की, जो मलामत करने वाली है, क्या मनुष्य यह समझता है कि हम कदापि उसकी हडिडयों को एकत्र नहीं करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे? हम उसकी पोरों तक को ठीक-ठाक करने का सामर्थ्य रखते हैं।'' (सूरा-७५, अल-क़ियामह, आयतें-१-४)

अर्थात अल्लाह सर्वशक्तिमान हैं वह जो चाहे कर सकता है। इसलिए क़ियामत के दिन जो उंगलियां और शरीर के दूसरे भाग सड़ गल गए होंगे उनको दोबारा ठीक कर देगा, और उस दिन सभी मनुष्यों को उठा खड़ा करेगा।

लेखकः डा० मुहम्मद अहमद लौह

अनुवादः अब्दुल मन्नान शिकरावी

इस्लाम में वक़्त की क़द्र व क़ीमत

देखा जाता है कि लोग अपने वक़्त को ऐसे कामों में लगाते हैं और उमर ऐसे कमों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होता। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि गुज़रते दिनों और बीतते समय पर ऐसे लोग कितना मगन हैं जब कि यह भूले हुए हैं कि उनकी जिन्दगी का गुज़रने वाला हर मिनट और हर क्षण उन्हें कब्र और परलोक से करीब कर देता है।

वक़्त ही का दूसरा नाम जीवन है और यही इन्सान की असली उमर है। जब वक़्त की हिफाज़त हर भलाई की बुनियाद और वक्त की बर्बादी हर बुराई की जड़ है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जिन्दगी में वक़्त की कीमत को समझें। सवाल यह है कि वह कौन से कारण और उपाय हैं जो वक़्त की हिफाज़त में लाभाकारी हो सकते हैं? कैसे हम अपने वक़्त को ज़्यादा से ज़्यादा लाभाकारी बना सकते हैं? इन सब पहलुओं पर थोड़ी देर के लिये गौर किया जाए।

वक़्त के बारे में विभिन्न पहलुओं से इस्लाम ने ध्यान अकार्षित कराया है। अललाह ने कुरआन की विभिन्न सूरतों में वक़्त की कसम खाई है जिससे वक़्त की अहमियत का पता चलता है और इस बात पर जोर दिया गया है कि वक़्त को अल्लाह की इबादत के लिये ग़नीमत जानना चाहिए। अल्लाह ने अपनी सृष्टि में से किसी की क़सम (सौगन्ध) खाता है तो इससे उसकी अहमियत का पता चलता है और इसका असल मकसद उसके लाभ से अवगत कराना होता है।

क़्यामत के दिन इन्सान से वक़्त के बारे में पूछा जाए गा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क़्यामत के दिन इन्सान के कदम चार चीज़ों के बारे में सवाल का जवाब दिए बगैर हिल नहीं सकें गे। उमर के बारे में कि उसने अपनी उमर को कहां खर्च किया? जवानी के बारे में कि उसने अपनी जवानी को कहां खपाया, माल के बारे में कि उसने माल को कहां से कमाया और कहां खर्च किया और इल्म के बारे में कि उसने अपने इल्म पर कहां तक अमल किया? (तिर्मिज़ी)

अल्लाह के रसूल (पैग़म्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी खबर दी है कि वक़्त सृष्टि के लिये अल्लाह की नेमतों में से एक महत्वपूर्ण नेमत है इसलिये इन्सान के लिये ज़रूरी है कि वह इस नेमत का शुक्रिया अदा करे वर्ना यह नेमत छीन ली जाएगी और ख़तम हो जाएगी। वक़्त की नेमत को अल्लाह की एताअत व फरमांबरदारी (अनुसरण) में स्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाएं। अल्लाह के रसूल (पैग़म्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि

वसल्लम ने फरमायाः दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अधिकतर अपना नुकसान करते (गफलत में रहते) हैं। एक तन्दुरूस्ती और दूसरा खाली वक़्त। (बुखारी)

इमाम इब्नुल कैइम रह० वक़्त की कद्र व कीमत और अहमियत के बारे में लिखते हैं :

''इन्सान का वक़्त हकीकत में उसकी उमर ही है। यह दुनिया की जिन्दगी तो बादलों की तरह आनी जानी है फिर जिस का वक़्त अल्लाह के लिये और उसके फरमान के मुताबिक गुज़रेगा तो उस पर सहीह मानों में जिन्दगी का इतलाक़ (अनुप्रयोग) होगा। वर्ना सब बेकार और व्यर्थ है''।

इमाम इब्नुल जौजी रह० फरमाते हैं इन्सान के लिये मुनासिब है कि वह वक़्त की कद्र करे। इसका एक क्षण भी किसी ऐसे काम में खर्च न हो जिससे अल्लाह की सामीप्ता प्राप्त न होता हो। कथनी व करनी में बेहतर से बेहतर का चुनाव करे। बगैर सुस्ती व काहिली के उसकी निय्यत और एरादा हमेशा भलाई के कामों के लिये होना चाहिए।

माल एक आनी जानी चीज़ है जिस तरह इन्सान अपने माल व दौलत की हिफाज़त करता है उसी तरह उसको अपने वक़्त का सहीह स्तेमाल करते हुए दीन व दुनिया दोनों के लिये स्तेमाल करे। हमारे असलाफ (पूर्वज) वक्त का बड़ा ख्याल रखते थे वह वक़्त का कोई भी लमहा बर्बाद नहीं होने देते थे वह वक़्त को लाभकारी इल्म को हासिल करने, नेक काम करने और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिये स्तेमाल करते थे। हज़रत हसन फरमाते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वह वक़्त का दीनार व दिरहम (माल व दौलत) से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे।

वक़्त की पाबन्दी के सिलसिले में जरूरी यह है कि काम का एक शिडोल बना लिया जाए ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों की सूचि बनालें, इसका फायदा यह हो गा कि काम में रूटीन बाक़ी रहेगा। बाज़ बुजुर्गों का कहना है कि इन्सान के औक़ात (समय) चार तरह के हैं। नेमत, मुसीबत, फरमांबरदारी और पाप। जिस इन्सान का वक़्त अल्लाह की फरमांबरदारी (अनुसरण) में गुज़र जाए तो वह अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह ने उसको उसके आदेश पर चलने की क्षमता दी, जिसका वक़्त नेमत में गुज़रा तो वह इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे जिसका वक़्त नाफरमानी में गुजरे तो वह तौबा करे और जिस का वक़्त कठिनाइयों में गुज़रे तो वह सब्र का दामन थामे रहे।

किसी अरबी कवि ने कहा कि दिनों के गुज़र जाने पर हम खुशी का इजहार करते हैं जब कि हर गुज़रने वाला दिन उमर का एक हिस्सा है जो ख़तम हो गया।

हज़रत हसन बसरी रह० फरमाते हैं ऐ आदम की औलाद तू इसके सिवा कुछ नहीं कि तेरा वजूद दिनों का ही दूसरा नाम है। जब एक दिन गया तो तेरा एक हिस्सा चला गया, अल्लामा इब्नुल कैइम रह० फरमाते हैं वक़्त की बर्बादी मौत से भी ज़्यादा सख्त है क्योंकि वक़्त की बर्बादी अल्लाह तआला और आखिरत (परलोक) से तेरा रिश्ता तोड़ देती है इसी तरह मौत दुनिया और उसके वासियों से तेरा संबन्ध तोड़ देती है। हज़रत सिर्री बिन अल मुग्लिस फरमाते हैं अगर माल के नुकसान पर तुझे ग़म होता है तो उमर के नुकसान पर तो तुझे रोना चाहिए। (सफवतुस्सफवा)

फुर्सत के समय को अल्लाह

की किताब को याद करने और उसको सीखने में स्तेमाल कीजिए। एक मोमिन के लिये फराइज़ की अदायगी के बाद फुर्सत के लमहों को स्तेमाल करने के लिये यह सबसे बेहतर अवसर है। अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरआन को खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए।

असलाफ (पूर्वज) अपने खाली वक़्त में इल्म हासिल करने के लिये चिंतित रहते थे। इसके कई तरीके हैं। महत्ववूर्ण पठन पाठन क्रिया में शामिल होना, फायदेमन्द कैसेट सुनना, लाभकारी किताबों का अध्ययन करना और इसी तरह से जो मसाइल मालूम नहीं हैं उनके बारे में ओलमा से मालूमात हासिल करना।

खाली वक़्त में अल्लाह को याद करना वक़्त का सबसे बेहतरीन स्तेमाल, सुनेहरा अवसर और आसान तरीन अमल है जिसमें न कोई माल ख़र्च होता है और न मेहनत मशक़्क़त करनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी (साथी) को इसी की शिक्षा दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बिस्र बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से एक देहाती ने पूछा इस्लाम के अहकाम व कवानीन तो मेरे लिये बहुत हैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें मुझे बता दीजिये जिस पर मैं मजबूती से जमा रहूं। आपने फरमाया तुम्हारी जुबान हर वक़्त अल्लाह की याद और जिक्र से तर रहे। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

अल्लाह की इबादत में अपने वक़्त को खर्च करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का पढ़ना है। इसके अलावा फराइज़ को अदा करने में जो कोताही और कमी हो जाती है नवाफिल पढ़ने से इसकी भरपाई हो जाती है इसके अलावा बन्दे को इससे अल्लाह की मुहब्बत हासिल होती है। जैसा कि एक मशहूर हदीस कुदसी है :

''और बन्दा नवाफिल की अदायगी के माध्यम से मुझसे सामीप्ता हासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूं'' (बुखारी)

अल्लाह की तरफ बुलाना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, इन्सानों की भलाई चाहना और अल्लाह की तरफ बुलाना नबियों (पैगम्बरों) का मिशन है इन सब कामों में अपना वक़्त लागना सबसे सुनेहरा और अच्छा अवसर है।

रिश्ते नाते जोड़ना जन्नत में जाने, रहमत के पाने, उमर में बरकत और रोज़ी में बढ़ोतरी का माध्यम है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है कि उसकी रोज़ी में बरकत और उमर में बढ़ोतरी हो उसे चाहिए कि वह रिश्ते नाते को जोड़े रखे। (बुखारी)

नमाज़ों के बाद, अज़ान व तकबीर के बीच, आखिरी तिहाई रात, अज़ान की आवाज़ सुनते वक़्त, फज्र की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक के सभी समय इबादत के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें शरीअत ने इबादत की प्रेरणा दी है और इन इबादतों के माध्यम से बन्दा पुण्य हासिल कर सकता है।

वक़्त का सहीह स्तेमाल यह भी है कि मुसलमान अपने बचे हुए समय को लाभकारी महारत, भाषा सीखने और व्यवसाय को इस मक़सद से सीखने में लगाएं कि वह इससे अपने आप को और अपने देश बन्धुओं को फायदा पहुंचाएँगे।

❑ ❑ ❑

इस्लाम में अनाथों के अधिकार

अबू हमदान अशरफ

वह मासूम और नाबालिग बच्चा जिसके बाप का इन्तेक़ाल हो गया हो उसे यतीम (अनाथ) कहते हैं।

यतीम के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन पर खर्च करने पर जोर के साथ जहां बहुत से अधिकारों को बयान किया गया है वहीं यतीमों के बारे में उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया। पवित्र कुरआन की २३ आयतों में अनाथों के अधिकारों का वर्णन आया है। यहां पर कुछ आयतों का अनुवाद पेश किया जा रहा है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''और जब हमने बनी इस्राईल से वादा लिया कि तुम अल्लाह तआला के सिवा दूसरे की इबादत न करना और मां बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज़ें काइम करना और ज़कात देते रहा करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया''। (सूरे बक़रा-८३)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''सारी अच्छाई पूर्व व पश्चिम की तरफ मुंह करने में ही नहीं बल्कि हकीकत में अच्छा वह शख्स है जो अल्लाह तआला पर, क़्यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और नबियों (पैग़म्बरों) पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मुहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आजाद करे, नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंगदस्ती दुख दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गारी है'' (सूरे बक़रा-१७७)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें? आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वह मां बाप के लिये है और मुसाफिरों के लिये है और तुम जो कुछ भलाई करो गे अल्लाह तआला को इसका इल्म है'' (सूरे बक़रा-२१५)

सहल बिन सअ़द साइदी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं और यतीम की किफालत (भरण-पोषण) करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे और आप ने अपनी शहादत (गवाही देने वाली) उंगली और बीच वाली उंगली के बीच कुशादगी की। (बुख़ारी)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जिसने किसी यतीम को अपने खाने और

पीने में शामिल कर लिया यहां तक कि वह मुहताज न रहे तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई (मुसनद अबू यअ़ला, तबरानी, मुसनद अहमद, सहीहुत तरग़ीब-२५४३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास अपने दिल के सख़्त होने की शिकायत की तो आप ने फरमाया अगर तू अपने दिल को नर्म करना चाहता है तो मिस्कीन (गरीब) को खाना खिला और यतीम के सर पर (प्यार व मुहब्बत) से हाथ फेर (मुसनद अहमद २/२६३, अस्सहीहा-२/५३३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ अल्लाह मैं लोगों को दो कमजोरों के हक़ में बहुत डराता हूं (उनके हक में कोताही न करना) एक यतीम और दूसरी औरत (सुनन इब्ने माजा-अस्सहीहा १०१५)

कुरआन में फरमायाः

''और यतीमों को उनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज़ न लो और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर न खाओ बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है'' (सूरे निसा-२)

फरमायाः ''जो लोग नाहक़ जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वह अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वह दोज़ख़ में जाएंगे''। (सूरे निसा-१)

यतीमों के साथ पैगम्बर मुहम्मद और उनके साथियों का जो व्यवहार था इसको अल्लामा अलताफ हुसैन हाली ने अपनी कविता में इन शब्दों में उल्लेख किया है।

वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला
मुरादें गरीबों का बर लाने वाला
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला
वह अपने पराये का गम खाने वाला
फकीरों का मलजा गरीबों का मावा
यतीमों का वाली गुलामों का मौला
खताकार से दरगुज़र करने वाला
बद अन्देश के दिल में घर करने वाला
मफासिद का जेरो ज़बर करने वाला
कबाइल को शेरो शुक्र करने वाला
उतर कर हिरा से सूए क़ौम आया
और इक नुस ख़ुए कीमिया साथ लाया

इमरान बिन हुसैइन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हम लोग एक सफर में पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम सख्त प्यासे थे, आपने हमें पानी की तलाश में भेजा हम पानी तलाश ही कर रहे थे कि हमें एक औरत नज़र आई जो दो मश्कों को लटकाए सवारी से जा रही थी, हमने उससे पानी के बारे में पूछा उसने कहा कि पानी यहां नहीं है, हमारे घर से एक दिन रात की दूरी पर है, हम लोगों ने उससे कहा कि हमारे पैगम्बर के पास चलो उसने कहा अल्लाह के पैगम्बर कौन हैं। हम लोग उस औरत को पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लाए। औरत ने उपर्युक्त बातों के बाद कहा कि वह यतीम बच्चों की मां है। पानी के मश्कीज़े में पैगम्बर मुहम्मद ने बरकत की दुआ की हम चालीस लोगों ने जी भर कर पानी पिया और अपने तमाम मश्कीज़े को भर लिया लेकिन इसके बावजूद उस औरत के पानी

में कोई कमी नहीं हुई। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एलान किया कि जिन जिन लोगों के पास खाने पीने के सामान हैं सब इस औरत को दे दें। जब यह औरत अपने घर पहुंची तो उसने अपनी क़ौम से कहा कि आज मैं सबसे बड़े जादूगर से मिल कर आई हूं वह तो वास्तव में पैग़म्बर हैं जैसा कि उसकी कौम का ख्याल है फिर वह औरत इस्लाम ले आई और इसके ज़रिया इस औरत की कौम भी इस्लाम ले आई। (बुख़ारी)

इस वाक़ए में ग़ौर करने की बात यह है कि जब पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यह औरत यतीम बच्चों की मां है तो आप ने इन बच्चों पर दया खाते हुए अपने सहाबा (साथियों) को इस औरत की मदद करने का हुक्म दिया जबकि आप और आपके प्यारे सहाबा सफर में थे।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पास एक औरत ने आकर कहा कि ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति का देहान्त हो गया है और हमारे पास छोटी छोटी बच्चियां हैं इन बच्चों को खिलाने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खिफाफ बिन ईमा गिफारी की बेटी हूं, मेरे पिता हुदैबिया में शामिल थे। उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने यह सुनने के बाद इस औरत को एक तन्दुरूस्त ऊंट पर गल्ले के दो थैले और दूसरी चीज़ें देकर रवाना किया और कहा कि इसके खतम होने से पहले अल्लाह इससे बेहतर इन्तेजाम (प्रबन्ध) कर देगा। (बुखारी)

७ हिजरी में पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उमरा के लिये मक्का गए और जब उमरा से वापस होने लगे तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बेटी ने ऐ चचा ऐ चचा पुकारते हुए पीछे से दौड़ते दौड़ते आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने इस बच्ची को उठा लिया और फातिमा को दे दिया। इस यतीम (अनाथ) बच्ची के बारे में तीनों सहाबी यह कहने लगे कि इस यतीम बच्ची की देख भाल मैं करूंगा और हर एक करीबी रिश्ते का हवाला देने लगे। आखिरकार आपने बच्ची को जाफर बिन अबू तालिब के हवाले कर दिया क्यों कि बच्ची की खाला उनके निकाह में थीं और आप ने फरमाया ख़ाला मां के दर्जे में होती है। (बुख़ारी)

यतीम की देखभाल या भरण पोषण का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अनाथ को अपने परिवार का मिंबर बना लें, अपने बच्चों के साथ इसे भी अपनी औलाद समझ कर इसकी तालीम व तर्बियत पर ध्यान दें, इसकी ज़रूरतों को पूरी करें, इसकी पूरी तरह से देख भाल करें। दूसरा तरीक़ा यह है कि आंशिक मदद करें, अपनी ताकात के अनुसार यतीमों की मदद करें।

अगर रिश्तेदारों में कोई यतीम है तो वह हमारी मदद का ज़्यादा हक़दार है, हम उसकी देख भाल करें इससे डबल पुण्य मिलेगा एक रिश्तेदारी का पुण्य और एक नेकी करने का पुण्य। वह संस्थाए जहां पर अनाथ बच्चे, क्षात्र क्षात्राएं शिक्षाध ीन हैं उनका सहयोग करें उनकी शिक्षा और प्रिशिक्षण में हिस्सा लें।

पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं एवं उपदेश

अनस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः आसानी पैदा करो और मुश्किल न पैदा करो, खुशखबरी सुनाओ और घृणा की बातें न करो। (बुखारी, मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फरिश्ते तुम में से किसी को भी दुआ देते हैं जब तक कि वह अपने नमाज़ पढ़ने की जगह में बैठा रहे और यह सिलसिला उस वक्त तक बाक़ी रहता है जब तक कि उसको तहारत की ज़रूरत न पड़ जाये फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा और उस पर रह्म कर। (बुख़ारी)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः टख़नों से नीचे तहबन्द का जो हिस्सा लटका हुआ होगा वह जहन्नम में जाने का सबब होगा। (बुख़ारी)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं कि आप ने फरमायाः जिसने हमारे दीन में नई बात ईजाद की जो उस से न हो तो वह मरदूद (स्वीकार्य नहीं) है। (बुखारी-मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आप ने फरमायाः अल्लाह के नजदीक सबसे ज़्यादा महबूब आमाल वह हैं जिनको बराबर किया जाये अगर्चे कम हों। (बुख़ारी-मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आपने फरमायाः जिस शख्स ने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिये नज़र मानी तो चाहिये कि वह उस की फरमाबरदारी करे और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की नज़र मानी तो वह अल्लाह की नाफरमानी न करे। (बुख़ारी)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आपने फरमायाः मुर्दों को बुरा भला न कहो क्योंकि मुर्दों ने जो कुछ किया था उसका बदला उन्हें मिल चुका। (बुख़ारी-५४)

अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आपने फरमायाः अपनी सफों को बराबर करो, बेशक सफों को बराबर करना नमाज़ की दुरूस्तगी में से है। (बुखारी, मुस्लिम)

अनस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आपने फरमायाः बेशक अल्लाह बन्दे से खुश रहता है क्योंकि वह खाता है तो इस पर अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) बयान करता है और पानी पीता है तो इस पर भी अल्लाह की हम्द बयान करता है। (मुस्लिम)

अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आपने फरमायाः तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके बाप से उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊं। (बुखारी, मुस्लिम)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान मुसलमान का भाई है न वह जुल्म करता है और न उसको दुख पहुंचाता है जो अपने भाई की जरूरत का ख्याल रखता है अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है और जिसने किसी मुसलमान की किसी परेशानी को दूर कर दिया अल्लाह तआला क्यामत के दिन उसकी परेशानी में से किसी परेशानी को दूर कर देगा और जिसने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया अल्लाह तआला क्यामत के दिन उसके ऐब को छुपाये गा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कनधों को पकड़ा और कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर या रास्ता पार करने वाले की तरह रहो। (बुख़ारी)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जुल्म क्यामत के दिन अंधेरे का सबब बनेगा। (बुख़ारी)

जाबिर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः हर बन्दा अपने कर्म के अनुसार उठाया जाये गा। (मुस्लिम)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियां बयान करती हैं आपने फरमायाः जो किसी अर्राफ (भविश्य या गैब की बातें बताने वाला) के पास गया और उसने किसी चीज़ के बारे में पूछा तो उसकी चालीस रातों की नमाज़ कुबूल नहीं होगी। (मुस्लिम)

इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फरमायाः क्यामत के दिन अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तसवीर बनाने वाले को दिया जायेगा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः जिस ने रात में सूरे बक़रा की आखिरी दो आयतें पढ़ीं यह उसके लिये काफी हो जायें गी। (बुखारी)

❑ ❑ ❑

समाज के लिये आदर्श कौन?

संदेष्टा मुहम्मद स० संसार के लिये दया-आगार बना कर भेजे गये थे

एक बार किसी ने आइशा (मुहम्मद स० की बीवी) से पूछा कि मुहम्मद स० के आचरण एवं चरित्र कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कुरआन में है वही उनके आचरण (अखलाक) थे। कुरआन में अल्लाह ने मुहम्मस स० के बारे में संसार वालों को बताया कि ऐ मुहम्मद आप अखलाक के ऊंचे मक़ाम पर हैं। यहाँ पर यह लिखना भाइदे से खाली नहीं होगा कि दुनिया में बहुत सारे संदेष्टा गुजरे हैं लेकिन जितनी किताबें मुहम्मद के जीवन पर लिखी गयी हैं उतनी किसी भी संदेष्टा पर नहीं लिखी गयी हैं।

आप स० लोगों को हमेशा यतीमों के साथ भलाई और उनसे मुहब्बत करने का उपदेश देते थे। एक मौक़े पर मुहम्मद स० ने फरमायाः मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वह है जिसमें किसी अनाथ (यतीम) बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा हो, और सबसे खराब घर वह है जिसमें किसी अनाथ बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो।

आपकी चहेती बेटी फातिमा ने अपने घरूलू काम के बोझ को कम करने के लिये अपने पिता मुहम्मद स० से एक सेविका (खादिमा) के लिये अनुरोध किया। इस पर मुहम्मद स० ने जवाब दिया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा सुफ्फा के गरीबों का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है, ऐसी हालत में तुम्हारी मांग को कैसे पूरी करूं? मुहम्मद स० अपनों का ख्याल रखने के साथ समाज के दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते थे।

आप अत्यंत मिलनसार, मेहरबान और दयालु थे, छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, गरीब या अमीर, सबसे मुहब्बत से पेश आते थे, निहायत दर्यादिल और दूसरों की जरूरत को पूरी करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करते थे, जिंदगी भर किसी के मांगने पर इंकार नहीं किया खुद तो भूखे रह जाते और दूसरों को घर का सामान खिला देते, यहां पर एक वाक्या नकल करना अनुचित नहीं होगा। एक बार एक सहाबी की शादी हुयी उनके पास वलीमा (रिसेप्शन) के लिये कोई सामान नहीं था। मुहम्मद स० ने उस विवाहित (शादीशुदा) आदमी से कहा कि आइशा के पास चले जाओ और उनसे आटे की टोकरी मांग लाओ हालत यह थी कि उस आटे के सिवा घर में कुछ नहीं था। दर्यादिली और दुनियावी माल से बेतअल्लुकी की यह हालत थी कि जब तक घर के सभी सामान को जरूरतमंदों में बांट नहीं देते, आप (मुहम्मद) घर में आराम नहीं करते। एक दफा फिदक के मालदारों ने चार ऊंटों पर अनाज भेजा इसको बेच कर कर्ज चुकाया गया फिर भी कुछ अनाज बच गया मुहम्मद स० ने कहा कि जब तक तमाम अनाज खत्म नहीं हो जायेगा मैं घर में नहीं जा सकता। रात भर मस्जिद में सोये रहे जब मुहम्मद स० को मालूम हो

गया कि पूरा माल बंट चुका है तब घर गये।

अरबों के बारे में मशहूर है कि वह अपने मेहमानों की आवभगत में किसी तरह की कोई कमी नहीं करते हैं। मुहम्मद स० के पास हर समुदाय के लोग मेहमान की हैसियत से आते थे। आप सब की आवभगत करते। कभी कभार ऐसा होता कि मेहमानों को घर की सारी चीजें खिला देते, बाद में पता चलता कि मेहमानों की आवभगत करते करते घर का सारा असासा (खाने पीने की चीजें) खत्म हो चुकी हैं और अब पूरा घर भूखे सोयेगा।

अगर इस तरह की भावना हमारे समाज में पैदा हो जाये तो हम लोग हर तरह की समस्या का समाधान ढूँढ सकते हैं और इस समय पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट का जो बादल छाया हुआ है उसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अफसोस और खेद की बात है कि आज हमारे समाज ने रहम दिली (दयालुता) मेहरबानी और सेवा की भावना को भुला कर सख्त दिली और स्वार्थ को अपना लिया है। अल्लाह तआला किसी को दौलत देता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह दौलत केवल उसी के लिये है। दौलत सबके लिये है इस लिये अल्लाह ने जिसको दौलत दे रखी है, उसमें से अपना भी खाये, अपने परिवार की भी देख रेख और समाज के गरीब जरूरत मंदों का भी ख्याल रखे, यही असल मानवता है। दौलत को जमा करके रखना और गरीबों और जरूरतमंदों को उससे महरूम रखना मानवता के विपरीत है। लेकिन जो लोग अपना माल रखकर दूसरों का माल खाने के फिराक़ में रहते हैं वह भी गुनहगार हैं।

मुहम्मद स० अपने गैर मुस्लिम मेहमानों का भी बड़ा आदर (पासो लिहाज) और आवभगत करते थे। एक दफा मुहम्मद स० के पास एक गैर मुस्लिम मेहमान पहुंचा, आपने एक बकरी का दूध उसको पिला दिया आपने दूसरी बकरी मंगवाया उसका भी दूध पिला दिया इसी तरह एक के बाद एक सात सात बकरियों का दूध पिला दिया, जब तक उसका पेट नहीं भर गया उसको दूध पिलाते रहे। मुहम्मद स० रात को उठ कर देखते थे कि हमारे यहां जो मेहमान (अतिथि) आया हुआ है उसको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, मुतमइन (संतुष्ट) हो जाने के बाद ही आप स० सोते थे। मतलब यह है कि एक आम इंसान के दुख सुख समझना आपकी आदत में शामिल थी और अपने पैरोकारों का इसका अभ्यस्त बनाने के लिये हर तरह से जतन किया, परिणाम स्वरूप उस वक्त का पूरा समाज एक दूसरे के दुख सुख का साथी बन गया।

आज पूरी दुनिया में मजदूरों के अधिकार के लिये आवाज़ उठ रही है, उनकी मांगों को पूरी करने के लिये हर तरह से प्रयास किया जा रहा है लेकिन उनकी समस्यायें दिन बदिन बढ़ती जा रही हैं। आये दिन मजदूरों के शोषण और उनको सताने की खबरें आती रहती हैं, इस के अलावा मजदूरों की स्थिति पर रिपोर्ट भी आती रहती है लेकिन स्वार्थ ने लोगों के सही सोचने की ताकत को जकड़ दिया है लेकिन इस्लाम ने १४ सौ साल पहले ''मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो'' कहकर मजदूरों के अधिकार को निर्धारित कर दिया। मुहम्मद स० मजदूरों की समस्याओं

को जानने के लिये उनके बीच में जाकर कर स्वंय काम भी करते थे। मुहम्मद स० छोटा बड़ा नहीं देखते थे, आप मिल जुल कर रहने पर विश्वास रखते थे, किसी काम को जल्दी निमटाना होता था तो आप भी काम करने वालों के हाथ बटाते थे। जब मस्जिदे नबवी का निर्माण हो रहा था और खनदक की खोदायी हो रही थी उस वक्त भी आप स० ने बिला झिझक सब मजदूरों के साथ मिल कर काम किया। इस्लाम ने मजदूरों के जो अधिकार बताये हैं अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो यह भी मानवता के खिलाफ है।

आप सारी दुनिया के लिये रहमत दया करूणा बनकर आये, इंसान तो इंसान जानवरों और पक्षियों के साथ भी किसी तरह की कोई ज्यादती और छेड़ छाड़ को गवारा नहीं किया यही वजह है कि आप उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार और रहमदिली का उपदेश और आदेश देते थे, और पहले इन बेजुबानों पर जो जुल्म होता आया था उसको बहुत सलीके से रोक दिया। एक बार किसी ने एक पक्षी (परिंदे) का अण्डा उठा लिया जिससे पक्षी बहुत बेचैन होकर पर मार रही थी। आपने पूछा इस परिंदों काअण्डा किस ने उठा कर उसको दुख पहुंचाया है? अण्डा उठाने वाले ने कहा कि मैंने उठाया है। आप स० ने हुक्म दिया कि उसका अण्डा जहां से उठाया है वहीं पर रख दो। इस का मतलब यह है कि जिस तरह इंसान दया का पात्र है उसी तरह जानवर और परिंदे भी दया और मेहरबानी के पात्र हैं।

तुम से पहले कौमें इसी लिये बर्बाद हो गयीं कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता और मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती थी। अल्लाह की सौगन्ध मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उस को भी सजा दी जाती। मुहम्मद स० ने यह कह कर दुनिया वालों पर यह स्पष्ट कर दिया कि कानून सबके लिये बराबर है।

आपकी नजर (दृष्टि) में अमीर गरीब, राजा रंक सब बराबर थे, सब पर एक ही तरह का कानून लागू करने के पक्षधर थे, छोटे और बड़े खानदान का कोई अनतर नहीं था बड़ी हैसियत का आदमी जुर्म करे तम भी जुर्म है और छोटी हैसियत का आदमी चोरी करे तब भी जुर्म है। एक बार अरब के बड़े खानदरन की औरत ने चोरी के जुर्म में पकड़ी गयी। लोगों ने उसको सजा से बचाने के लिये मुहम्मद स० के एक करीबी उसामा से सिफारिश करवाई इस पर मुहम्मद स० ने फरमाया तुम से पहले कौमें इसी लिये बर्बाद हो गयीं कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता और मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती थी। अल्लाह की सौगन्ध मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उस को भी सजा दी जाती। मुहम्मद स० ने यह कह कर दुनिया वालों पर यह स्पष्ट कर दिया कि कानून सबके लिये बराबर है।

नौशाद अहमद

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी का

रसूले रहमत कांफ्रेन्स से ख़िताब

प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस पाश्चिम बंगाल की साझेदारी से अलहुदा एजुकेश्नल सूसाइटी कोलकाता के द्वारा ११ दिसम्बर २०२२ को आयोजित भव्य ''रसूले रहमत कांफ्रेन्स'' से संबोधित करते हुये मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि गैर मुस्लिमों की सेवा और उनके साथ सदव्यवहार में पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अद्वितीय थे, गैर मुस्लिम अनाथों का भरण-पोषण, ग़ैर मुस्लिम बेवाओं, ग़रीबों और रिश्तेदारों की मदद और उनसे रिश्ते नातेदारी को जोड़ना इसकी स्पष्ट मिसालें हैं। यमामा के बादशाह सुमामा बिन उसाल के साथ सदव्यवहार इस बात का खुला सुबूत है कि आपने ग़ैर मुस्लिमों का बहुत ख्याल रखा है हमें चाहिए कि हम पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी को अपनाएं और अपनों और परायों के साथ बेहतर से बेहतर व्यवहार करें।

प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस विहार के उपाध्यक्ष मौलाना खुर्शीद आलम मदनी ने संबोधित करते हुए कहा कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सबसे महान हैं, उनकी महानता की गवाही अल्लाह ने दी है, उनकी महानता की गवाही अन्य वर्गों के लोगों ने भी दी है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवकों ने भी आप के महान चरित्र की गवाही और पुष्टि की, आप की बीवियों ने आप की मानवीय और कल्याणकारी सेवाओं को बयान करके आपको सांत्वना दिया।

प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस पश्चिम बंगाल के सचिव मौलाना ज़की अहमद मदनी ने कहा कि आप पूरे संसार वालों के लिये रहमत, औरतों, मर्दों, बच्चों बल्कि पूरी मानवता के लिये रहमत हैं आप ने मानवता की सफलता और मुक्ति के लिये पत्थर खाया लेकिन बददुआ नहीं दी यह सब आप के दयालू होने की दलील है हमें चाहिए कि हम आप की पवित्र जीवनी का अध्यन करें, और आप के पवित्र जीवन पर अमल करते हुए इसको साधारण भी करें।

रहीक़ गलोबल स्कूल के डायरेक्टर डा० जिल्लुर्रहमान तैमी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम दस बातों को अपने घरों में लागू कर लें तो एक अच्छे समाज का गठन निश्चित रूप से हो जाएगा। घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार, सेवकों, पड़ोसियों, औरतों, गरीब लोगों के साथ सदव्यवहार, गैर मुस्लिमों से कारोबारी संबन्ध, और इस्लाम की शिक्षाओं को अन्य लोगों तक पहुंचा कर एक अच्छे समाज का गठन किया जा सकता है। कांफ्रेन्स की शुरूआत एक क्षात्र फरहान महबूब की तिलावत से हुई। इस कांफ्रेन्स में ओलमा, बुद्धिजीवी, समुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य समाजी हस्तियों ने शिर्कत की। (रिपोर्टः- मौलाना ज़की अहमद मदनी)